न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व ...

रूकसाना बनाम सलीम गोरी

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट. नम्बर 45 सन–2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म का तामील में जारी हुए
.2022	वकील सायल ने यह प्रार्थना –पत्र सायल की ओर से पेश किया प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर वकील सायल को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया गया प्रथम दृष्टया प्रकरण, सूविधा का सन्तुलन , अपूर्णीय क्षति का बिन्दु सायल के पक्ष में प्रतीत होता है अतः प्रस्तुंत दस्तावेज एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए गैरसायलान/अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि रोही मौजा चक 26 डीपीएन के खाता संख्या 81/78 की कुल 4.8070हैक में सयुक्त तौर से 16088/33649 हिस्सा व रोही मौजा चक 15 बारानी के खाता संख्या 177/112 की कुल 8.8550हैक में से 6/98 हिस्सा भूमि गैरसायलान के नाम से दर्ज भूमि की आगामी तारीख पेशी तक रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावे अस्थायी निषेधाज्ञा बढाने का निर्णय सुनने के उपरान्त लिया जावेगा एवं स्थगन आदेश खाला एवं रास्ता की भूमि पर लागू नही होगा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावें अप्रार्थीगण के रजिस्टर सम्मन जारी किये जाकर पत्रावली दिनांक 13.06.2022 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर	
7/6/22	वकील सायल के निवेदन पर [illegible] सायल ने निवेदन किया [illegible] [illegible] नहीं चाहते [illegible] (हस्ताक्षर)	[illegible] (हस्ताक्षर) 7/6/22